



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042020-219119
CG-DL-E-24042020-219119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1184]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942

No. 1184]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ. 1327(अ).— यतः केंद्र सरकार ने, अधिसूचना का.आ. 3873 (ई) दिनांक 24 अक्टूबर 2019 द्वारा, तम्बाकू बोर्ड को, कर्नाटक राज्य में पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया तम्बाकू तथा कर्नाटक राज्य के अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया तम्बाकू खरीद करने के लिए, पंजीकृत व्यापारियों और तम्बाकू बोर्ड के डीलरों को अपने नीलामी प्लेटफार्मों पर 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए, प्रवेश कराने के लिए अधिकृत किया था।

अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 20क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अनुमति की अवधि तीन महीने के लिए, 30 जून 2020 तक, बढ़ा दी है। 24 अक्टूबर 2020 की अधिसूचना में निर्दिष्ट अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा.सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1327 (E).—Whereas the Central Government, vide notification S.O. 3873 (E) dated 24th October 2019, had authorised the Tobacco Board to admit the registered traders and dealers of the Tobacco Board, to purchase at its auction platforms in the State of Karnataka, the excess flue cured virginia tobacco produced by registered growers and flue cured virginia tobacco produced by unregistered growers in the State of Karnataka, for the period up to 31st March 2020.

Now, in exercise of the powers conferred by section 20A, read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government extends the period of permission for a further period of two months, up to 31st May, 2020. The other conditions specified in the notification dated 24th October 2020 shall remain unchanged.

[F.No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2020

का.आ.1328 (अ).— यतः केंद्र सरकार नें, अधिसूचना का.आ. 3874 (ई) दिनांक 24 अक्टूबर 2019 कर्नाटक राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14(ए) की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उप धारा (1) के प्रावधानों के प्रवर्तन में ढील दी थी तथा तंबाकू बोर्ड द्वारा अधिकृत नीलामी प्लेटफार्मों पर, 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए, पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त फ्लू क्यूरोर्ड वर्जिनिया तम्बाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित फ्लू क्यूरोर्ड वर्जिनिया तंबाकू की फसल की बिक्री की अनुमति दी थी।

अब, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने ढील की अवधि तीन महीने के लिए, 30 जून 2020 तक, बढ़ा दी है।

[फा.सं. 5/3/2019-ईपी(एग्री-VI)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1328 (E).—Whereas the Central Government, vide notification S.O. 3874 (E) dated 24th October 2019, had relaxed the operation of the provisions of sub-section (1) of section 10 read with sub-section (1) of section 14A of the Tobacco Board Act, 1975 in the State of Karnataka and had permitted the sale of excess flue cured virginia tobacco crop of the registered growers and flue cured virginia tobacco crop of the unregistered growers at the auction platforms authorised by the Tobacco Board, for the period up to 31st March 2020.

Now, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30, read with clause (g) of sub-section (2) of section 8 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government extends the period of relaxation for a further period of two months, up to 31st May, 2020.

[F.No. 5/3/2019-EP(Agri-VI)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.